



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-309

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 287227 दिनांक 13/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Mamta Kumari Meena W/o Suresh Chand Meena	लेफ्ट. कर्नल श्री मुदित शर्मा पुत्र स्व. श्री सूरजभान शर्मा	178	138.89 SQ. YARD	Private	ROYAL ENCLAVE Sector/Block-A	Name Transfer	श्रीमती ममता कुमारी मीना पत्नी श्री सुरेश चन्द मीना द्वारा निजी खातेदारी की योजना रॉयल एनक्लेव के भूखण्ड संख्या ए-178 क्षेत्रफल 138.89 व.ग. के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या ए-178 क्षेत्रफल 138.88 व.ग. की लीजडीड दिनांक 12.09.2008 को लेफ्ट. कर्नल श्री मुदित शर्मा पुत्र स्व. श्री सूरजभान शर्मा के पक्ष में जारी की गई है। दिनांक 26.02.2026 को जविप्रा द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड के क्षेत्रफल में 138.88 व.ग. के स्थान पर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

138.89 व.ग. का संशोधन पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या ए-178 क्षेत्रफल 138.89 व.ग. को लेफ्ट. कर्नल श्री मुदित शर्मा पुत्र स्व. श्री सूरजभान शर्मा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.03.2026 को श्रीमती ममता कुमारी मीना पत्नी श्री सुरेश चन्द मीना को बेचान किया गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Mamta Kumari Meena W/o Suresh Chand Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |